...ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

...2/3044/2013 तारीख रजू..........................

राधेश्याम बनाम प्रभाती वगैरा

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया।प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तरीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 479, 572, 685, 475, वाके ग्राम बराडा तहसील कठूमर में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। चुकिं एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे मे अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिये कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत वहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 15.1.2024 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 15.1.2024 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0 15/1/24 ....उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 22/12/23 की पालना में पत्रावली वास्ते .... दिनांक 26/2/24 .... को पेश हो Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:07 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार की तामील
20/4/24	मुकदमा .... P.O. / नकल ... अनुपस्थित ... / पत्रावली दिनांक 10/6/24 / को पेश हो	
28/5/24 हाईकोर्ट के न्यायिक निर्णय T.I. प्रो खसरा क्रमांक पावती प्रस्तुत कोई प्रश्न नहीं है।	पत्रावली आज मूल वाद के साथ वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर अपने प्रार्थना पत्र वादग्रस्त को वापस लेने पर खारिज करने का निवेदन किया गया प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थना पत्र वादग्रस्त पर प्रार्थी के हस्ताक्षर किये गये जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वादग्रस्त वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर दर्ज करके पर खारिज किया जाता है। पत्रावली को मय हुक्म हो मूल वाद के साथ संलग्न रहे। हुक्म SDM	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:07 IST
Reason: SelfAttested